

# Government of Uttary khand Office of the District Magistrate: Chamoli

40.:- Camp

Dated :- 10-03-2015

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.772 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (Length 1.50 Km) at Dasoli Block in District Chamoli (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

#### It is further Certified that:

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.772 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	As there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

June are

. (a Lek Kuna ri Etrler shigistrate Chameli)

> जिलाधिकारी धरीनी

CMTRALetter



## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 12.3-205 at time 12.00 at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.772 Heet of civil land for the Construction of Ghurshal-Saikot motor road. Under State Sector (length 1.50 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 10:3:15

Signature

(District Magistrate Chamoli)

DM FRA Letter

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेत् वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

> उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेर्तु किने के सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 🔀 🐉 🚶 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननाुसार है:-

1- श्री अवस्थिश कुकार सिंह उपजिलाधिकारी (सदर) 2- श्री रुज रने जिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी 3- श्री क्यारार्ग .....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव 4- श्री भूजी द्वारा प्यार बी.डी.सी. क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के घुड़साल-सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 10:772 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी।

सहायक सम्पूज कल्याण अधिकारी विक विकेशित सी क्षेत्रय पुड़ सार सदस्य / सचिव

विकास खासद्स्यमोली (चमोर

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड़ दशोली में घुडसाल-सैकोट मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में घुडसाल—सैकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु • 772—हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु • 772 हे0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि **2.772**. हे0 सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सहीं है।





प्रपत्र -23.1 दि.03.103/15 को ग्राम सभा ..... .....की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम क्रं。 हस्ताक्षर 1 21 An-MM16 9410/10 colon entim क लाख 2500

प्रपत्र -23.1

दि... १२/१८३/२०१५... को ग्राम सभा अद्भारताल की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

	निम्नालाखत सदस्य उपास्थत हुए	
क्रं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	1्रिश्पालासिट	Turnel
2	ER 21-4-6	Phan:
3	X121-4-418E	Rand
4	- HINOX PHE	E
5	HARRY E	B
6	<u> </u>	to have
7	analt ide	99777
8	Town do 1 2/6	जिलो अस ह
9 -	खेवरामंड	Jang
10	मोहनसिंह	- METABES
11	-दरवानां सह	28mg/
12	31 GYRIE	3/12/2/2
13	Ta =1401/01	निवनाय लगान
(4)	न-पनिस्ट	M-6-1 18E
15	HANIE'E	In John
16	निवली कासह सती	Buildie
(17)	नरायणसिंह	0171401122
18	201146	RO
19	(MIGIZIMIM	J771421cn10
20	नर्-क्रांसह	Salas
	THE TOTAL STATE OF THE PARTY OF	The same of the sa
	हला र प्रमादेश	

19000 000000 00000